तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	सुरेश चन्द शर्मा बनाम लो.सू.अ. लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 129 / 2023 (ऑन लाईन नं.353119897696911)	
14.08.23	अपीलार्थी सुरेश चन्द शर्मा, निवासी 402, कंकरेलिया कुंज भानपुर कला तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.04.23 में उसके द्वारा (1) पांचों कृषि विश्वविद्यालयों में पीजी की कुल कितनी सीटे उपलब्ध है, विषयानुसार जानकारी उपलब्ध कराने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 876 दिनांक 26.07.23 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में वर्णित सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर राज्य लोक सूचना अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का आवेदन सूचना का अधिकार अधि. की धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर को कार्यालय के पत्रांक 458 दिनांक 12.04.23 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया तथा प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई थी। चूंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत संबंधित लोक सूचना अधिकारी (कृषि विश्व विद्यालय जोधपुर) को स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध प्रथम अपील इस कार्यालय को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं है अतः अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	